211 Sale ... Area ... 208

भारतीय गैर न्यायिक

एक रुपया ONE RUPEE

रु. 1 Re. 1

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

00AA 764449

Fees paid

Salami 2.50
Fee 0.94
3.44

... स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 46 के अधिन प्राप्य ... भारतीय स्टाम्प अधिनियम ... इंडियन स्टाम्प ... के अनुच्छेद (या) क संख्या 23 ... अधिक यथावत ... सहित (या) स्टाम्प शुल्क से नियुक्त का स्टाम्प शुल्क अपेक्षित नहीं।

निबंधन पदाधिकारी

Gumla 16/2/19

मार्ग दर्शिका पंजी से मिलान किया। सही पाया। 16.2.19 ह० लिपिक

02 612 44

नाम मोकिर :- अनुप कुमार सिंह पिता स्वर्गीय खिलेश्वर सिंह जाति - राजपुत पेसा - खेती साकिन मौजा दुन्दुरिया थाना गुमला जिला गुमला (झारखण्ड) शपथ पत्र सं० -
आधार सं०- 2783 7797 7813, मो० नं०- 8969202815.
पैन नं०- एफ के जी पी एस 9914 जी.

16/2/19

शपथपत्र : 60/2019

NITU SONY

नाम मोकिर:- नीतु सोनी पति श्री चन्द्रभूषण साहु जाति सोनार
अलेहा पेशा गृहिणी साकिन मौजा बरसलोया पोस्ट- बरस-
लोया थाना कोलेबिरा जिला- सिमडेगा , हालमोकाम
चाटो बगीचा गुमला थाना व जिला - गुमला।
शपथ पत्र संख्या
शपथ पत्र 6/2019
आधार नं0- 3093 2614 2313 ·

मो0 नम्बर - 9334267106
शपथपत्र संख्या 822/2019

किस्म वसिका:- पट्टा बिक्री बेला कलामी हमेशे के लिये जिसके सालाने
मालगुजारी 25 पैसा अलावे शेष जो सम्वत 2075 साल
से झारखण्ड सरकार को वाजिबुल अदा होगा ।

तायदाद रूपैया:- मोवलिक 3,70,000/- तीन लाख सतर हजार रूपैया ।

जायदाद :- मवाजी 0·04 एकड़ (चार डिसमिल) जमीन हकियत
कास्त कायमी रैयती वो दखली बकदर अपना हक वो
हिस्सा अन्दर खाता नं0 - 02 प्लॉट नं0 612 वाके मौजा
दुन्दुरिया वार्ड नं0 - 2 थाना नम्बर 44 थाना गुमला
जिला- गुमला मुतअलके कलक्ट्री वो डिस्ट्रीक्ट रीजस्ट्रार मोकाम
मुकाम गुमला जमीन्दारी झारखण्ड सरकार द्वारा अंचल
अधिकारी गुमला के वाके हैं ।
तफसील जमीन जो विक्री होती है आवासीय
योग्य खाली जमीन ।

खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
02	612	0·04 एकड़
		0·04 एकड़

कुल रकबा -चार डिसमिल

अनुज कुमार
दि: 15.2.2019

पहचान सही बाल मुकुन्द नाथ तिवारी
पिता स्व हरिहर नाथ तिवारी
ग्राम- लोहरदगा थाना + जिला गुमला
ता. 15/2/2019
आधार नं. 227397886370

NITU SONY

पैमाईस :-

उतर तरफ पुरब से पश्चिम - 67 फीट ,
दक्षिण तरफ पुरब से पश्चिम - 69 फीट ,
पुरब तरफ उतर से दक्षिण - 26 फीट ,
पश्चिम तरफ उतर से दक्षिण - 26 फीट ,

चौहदी :-

उतर - नीज विक्रेता , दक्षिण - संजय प्रसाद ,
पुरब - कच्चा रास्ता , पश्चिम - ममता नाग ।

विदती हो कि उपर्युक्त वर्णित खाना नम्बर पाँच की जमीन गत सर्वे आर• एस• नाप में देवी सिंह के नाम से नाप होकर खतियान बना है । देवी सिंह के दो लड़के रामेश्वर सिंह वो बदल देव सिंह आपस में अन्य जमीनों के साथ बटवारा कर लिये । रामेश्वर सिंह के दो लड़के शिवनारायण सिंह वो जगनारायण सिंह । जगनारायण सिंह के दो पुत्र खिलेश्वर सिंह वो जलेश्वर भी आपस में बटवारा अन्य जमीनों के के साथ कर लिये । खिलेश्वर के मृत्यु के बाद उनके एक मात्र पुत्र अनूप कुमार सिंह मनमोकिर उपरोक्त जमीन पर शांति पूर्वक दखलकार चले आ रहे हैं । जमाबन्दी पंजी दो के भोलुम - IZI पेज नं0- 209 के शिवनारायण सिंह वगैरह का नाम दर्ज चला आ रहा है तथा रसीद संख्या -- जे• एच 03 -ए।47।90 प्राप्त है । मनमोकिर को अंचल कार्यालय गुमला के ज्ञापांक - 23 दिनांक - 30•1• 2019 द्वारा निर्गत भू- धारण प्रमाण पत्र प्राप्त है , गुमला नगर परिषद से मनमोकिर अनुप कुमार सिंह के नाम से नया गृह संख्या 0020000449- 000 एम ओ प्राप्त है । मनमोकिर करने कारवार वो दीगर काम के लिए मोकिर अलैहा 3,70,000/- तीन लाख सत्तर हजार रुपया लिया और रुपया के बदला जरसम्मन करार कर अदल जरसम्मन के बदला उपर लिखा खाना नम्बर पाँच की जमीन को आज के रोज से बेचा वो विक्रय पत्र लिख कर कुल हक हकुक के साथ दखलकार कर दिया । अब इस विक्रेता जमीन पर जिस प्रकार का भू- स्वामित्व मनमोकिर का था या आइन्दे उनके

NITU SONY

उत्तराधिकारी का होता वह सब आज के रोज से बहैसियत खरीददार मोकिर अलैहा मय उनके उत्तराधिकारी का हुआ वो होगा । अब इस विक्री जमीन पर मोकिर अलैहा दखलकार होकर वो रहकर मुनासिब इन्तजाम अपना कच्चा - पक्का मकान कुआ बाड़ी बनावे वो अपने रहे किराये पर लगावे वो जो इच्छा हो करें वो जिस प्रकार का आमदनी नगदी जिनसी हो पुत्र पुत्रादिक एकेवा दीगरे भोग तसरूफ किया करें वो झारखण्ड सरकार के सिरीस्तें अंचल कार्यालय में अपने नाम से दाखिल खारीज कराकर खास रसीद लिया करें इसमें मनमोकिर वो उत्तराधिकारी मनमोकिर को कोई आपति नहीं होगी मनमोकिर घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त विवरणी की भूमि खतियान के अनुसार सरकारी नहीं है और न ही सरकार के द्वारा अधिग्रहण सैनिक या असैनिक ही किया गया है । यह भी घोषित किया जाता है कि प्रासांगिक भूमि, भूदान, भू- हदबंदी लीज, भू- अर्जन तथा भुबन्दोबस्ती की नहीं है । यह भूमि खान एवं वन सीमा से बाहर है । यह भी घोषित किया जाता है कि भूमि मठ, मन्दिर, गिरजा मस्जिद संस्था तथा गुरूद्वारा का नहीं है । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रासांगिक भूमि की विक्री पूर्व में नहीं की गयी है । वो आदिवासी खाते की जमीन नहीं है ।

इसलिए बखुशी वो खाहिश मनमोकिर कुल जरसम्मन वसुल पाकर पट्टा विक्री लिख दिया कि समय पर काम आवे और प्रमाण रहे ।

मैं लेखयकारी - झारखण्ड भू- हदबंदी अधिनियम 1961 की धारा 16(2) के अधीन घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा विक्री की जानेवाली जमीन भू- हदबंदी की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है।

अनुप कुमार रिजे
दा: 15.2.2019

अनुप कुमार रिजे
दा: 15.2.2019

अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

NITU SONY

मैं लेखधारी - झारखण्ड भू- हदबंदी की अधिनियम 1961 की धारा 16 (2) के अधीन घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा खरीदी जानेवाली जमीन भू- हदबंदी की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है ।

Nitu Sony
15-2-19

अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

प्रमाणित किया जाता है कि लेखकारी एवं लेखधारी के बायें हाथ के पाँचों अंगुलियों का निशान मेरे सामने लिया गया है जिनलोगों का दस्तावेज में फोटो चिपकाया गया है एवं इस बिक्री दस्तावेज में 5 पन्नों में टाईप किया गया है।

अभय कुमार दुबे
दि. 15.2.2019

टंकक :- प्रमोद सिंह कोर्ट परिसर, गुमला

श्री - अर्जुन पाण्डेय कातिब
के ड्राफ्ट पर यह पट्टा बिक्री टंकित किया ।

प्रमोद

टंकक का हस्ताक्षर ।

अर्जुन पाण्डेय लाo नo 4/06
दाo 15/2/2019
ड्राफ्ट कर्त्ता का हस्ताक्षर ।

NITU SONY

Sch XIV- F.No. 180v
रसीद मालगुजारी
नाम सर्कल । नाम मौजा मय
थाना वो थाना नम्बर

V

फरद मलकी / फरद रैयती
नाम रैयत मय वलिदयत जमाबन्दी
वो सकुनत नम्बर।

Page No. : **59**
Vol. No. : **11**
Receipt No. : **0965410043**

गुमला सदर | दुन्दरीया | 0044 | नीतु सोनी

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
2	612	0 एकड़ 4 डिसमील 0 हेक्टर

अराजी नकदी	अराजी भावली	तफसील हिसाब लगान भावली

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बावत		सालाना	बकाया				हाल
			तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष	१ ला वर्ष	(2024-2025)
माल	(नकदी)	2.00					2.00
गुजारी	(भावली)	0.50					0.50
सेस	. . . .	1.00					1.00
सूद	. . . .	1.00					1.00
मुतफरकात	. . . .	0.40					0.40
मीजान		**4.90**					**4.90**

तफसील अदायकारी

अदायकारी बाबत		बकाया				मोतालबा	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष	१ ला वर्ष	हाल (2024-2025)	
माल	(नकदी)					2.00	
गुजारी	(भावली)					0.50	
सेस	. . . .					1.00	
सूद	. . . .					1.00	
मुतफरकात	. . . .					0.40	
मीजान अदायकारी						**4.90**	

(१) मीजान कुल (लफ्जों में) : **Four Rupees and Ninety Paise**
(२) नाम देहिन्दा -
(३) कुल बकाया- **4.90**

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : **14-08-2024**

खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है।
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

दो गज की दूरी का रखो ध्यान यही है कोरोना का समाधान।

Print

NITU SONY

GUMLA NAGAR PARISHAD

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पती कर की सूचना।

Memo No. : 1040379310724021852

Date : 31-07-2024

प्रभावी : द्वितीय तिमाही 2024-2025

श्री/श्रीमती/सुश्री NITU SONY W/O CHANDRA BHUSHAN SAHU,
मोहल्ला DUNDURIA GUMLA GUMLA
Gumla , 835207
9155949419

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं॰ - 0020000792000M0 वार्ड सं॰ 2 हुआ है, आपके स्व॰ निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रू॰ निर्धारित किया गया है ।
इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं॰	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	81.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
	कुल राशि (प्रति तिमाही)	81.00

NITU SONY

To be signed by the Applicant

नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, GUMLA NAGAR PARISHAD Website, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पति कर का 50% होगा । हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें ।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियातय दी जाएगी।
5. किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. GUMLA NAGAR PARISHAD द्वारा संग्रहित इस सम्पति कर इन इमरतों/ढांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये होल्डिंग नंओ का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा ।

NOTE : This is a Computer generated receipt.This receipt does not require physical signature.